पत्रांक – 849 दिनांक – 6.12.2022
सेवा में, शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

अनुसूची २१—प्रपत्र सं० ९१३।

संपत्ति - अवभार - प्रमाण - पत्र

प्रमाणक सं० – 577 – /2022   आवेदन सं० शुन्य – – २० ।

चूंकि श्री For- Itika Properties (Partner Sri Birendra Pradhan) ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 7.9.1930 से ता० आज तक 22 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला :— अवभार से मुक्त

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
1.	मौजा – Subratiloma थाना नं० – 270 प्लाट नं० – 220 – T.P.P.No – 1421 J.B.No – 16/3432 वार्ड नं० – 11 – रकबा – 20700 – वर्गफीट मात्र							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
(ख) १ बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बश कि इनके बारे में उल्लेख हो।
२ पट्टे की दशा में पट की अवधि और लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :— [signature]

(पदनाम) :— लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :— A.K. Chaudhary

लिपिक

(पदनाम) :—

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय

देवघर

तारीख

जिला अवर निबंधक
मुहर
सत्यमेव जयते
देवघर का मुहर

[signature]

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

6/12/2022

टिप्पणी (१)–इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी ।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र मे दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की हैं और चूँकि उसके द्वार ढूढे गये गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र मे दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो । अभिलेखों के खोज, तलाशी जाँच के एवं अवभार देखने का प्रमाण पत्र देने के उपरान्त NEC दिया गया है।